संख्या : 32-दो(2)/XXXVI(2)/2008-1-दो(2)/08

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2008

विषय:- मा० न्यायमूर्ति के वाहन संख्या-यू०ए०-04-डी-2009(टोयटा कोरोला) के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रतिस्थापन के आधार पर नये वाहन को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4790/यू०एच०सी०-2008/नजारत, दिनांक 19.12.08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० न्यायमूर्ति के वाहन संख्या-यू०ए०-04-डी-2009(टोयटा कोरोला) के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रतिस्थापन के आधार पर एक नई टोयटा कोरोला कार को क्रय किये जाने हेतु प्रोफार्मा इनवायस की लागत रु० 10,15,390/- में से रुपये 10,00,000/-(रुपये दस लाख) मद संख्या-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय से एवं शेष धनराशि रु० 15,390/-(पन्द्रह हजार तीन सौ नब्बे रुपये मात्र) संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित मद में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचत से धनराशि के व्यावर्तन के पश्चात् मद संख्या-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय से कुल रुपये 10,15,390/-(दस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ नब्बे रुपये मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) शासकीय वाहन के क्रय हेतु अनुमन्य व्यापार कर में छूट हेतु फार्म डी निष्पादित कर क्रय की कार्यवाही की जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग न होने की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय ।

(2) उक्त वाहन के क्रय में स्टैन्डर्ड एक्सेसरीज के अलावा अन्य एक्सेसरीज हेतु धनराशि सम्मिलित नहीं है ।

(3) वाहन के क्रय में डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर किया जाय ।

(4) दुर्घटनाग्रस्त वाहन की निष्प्रयोज्यता से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही(निष्प्रयोज्य घोषित करना, वाहन को नीलामी एवं अर्जित राशि को राजकोष में जमा करना आदि) वाहन क्रय की स्वीकृति के तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, उक्त कार्यवाही के पूर्ण करने के समस्त साक्ष्य सहित शासन को इसी अवधि में उपलब्ध करा दी जाय ।

(5) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

(6) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

(7) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।

(8) दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में वाहन संख्या-डी०एल०-7सी-सी-0583 के मालिक एवं इन्सोरेन्स कम्पनी से प्राप्त होने वाले मुआवजा राशि को राजकोष में जमा करा कर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-509एन0पी0/XXVII(5)/2008, दिनांक 26.12.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संलग्नक- बी०एम०-15 ।

संख्या : 32-दो(2)/XXXVI(2)/2008-1-दो(2)/08-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
5- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

पुनर्विनियोग 2008–2009 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम– महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
प्रशासनिक विभाग का नाम– न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

(धनराशि हजार रुपयों में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है एवं स्थानान्तरित धनराशि		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00					2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00				क मितव्ययता के कारण उपलब्ध धनराशि ख प्राविधान न होने एवं आवश्यकता होने के कारण ।
07–मानदेय	100	0	20	80–क	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारें/मोटर गाड़ियों का क्रय	15.390–ख	1015.390	84.610	
कुल धनराशि	100	0	20	80		15.390	1015.390	84.610	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या–६०९ एनपी–क/ XXVII(5)/2008
देहरादून : दिनांक : २६ दिसम्बर, 2008
पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या–32–वी(1)XXXVI(2)2008–1–दो(2)/08–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।